न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

प्रकरण संख्या– 344 / 2023

पीठासीन अधिकारी:–(दिव्या) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धारा:– 88, 53 आर.टी.ए.

1 मीरा देवी पत्नी स्व. मनीराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ।
2 प्रेम कुमार स्व. मनीराम पुत्र स्व. मनीराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
3 प्रकाश कुमार स्व. मनीराम पुत्र स्व. मनीराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
4 विजय कुमार पुत्र स्व. मनीराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ

– वादीगण

बनाम

1. मंगूराम पुत्र स्व. मोतीराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
2. नन्दूराम पुत्र स्व. मोतीराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
3. नन्दो देवी पत्नी स्व. बल्लूराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
4. राकेश कुमार पुत्र बल्लूराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
5. शंकरलाल पुत्र बल्लूराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
6. कम्मो देवी पुत्री बल्लूराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
7. राणी देवी पुत्री बल्लूराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
8. राजो देवी पुत्री बल्लूराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
9. रुकमा देवी पत्नी स्व. पन्नाराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
10. गगन कुमार पुत्र स्व. पन्नाराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
11. कृष्ण कुमार स्व. पन्नाराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
12. पन्नो देवी पत्नी स्व. चन्दूराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
13. भादरराम पुत्र स्व. चन्दूराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
14. बीरबल राम पुत्र स्व. चन्दूराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
15. लच्छो पुत्री स्व. चन्दूराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
16. सुखो पुत्री स्व. चन्दूराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
17. बखो पुत्री स्व. चन्दूराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
18. लखो पुत्री स्व. चन्दूराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
19. दाखो पुत्री स्व. चन्दूराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
20. सोमा पुत्री स्व. चन्दूराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ
21. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादी

उपस्थित :–

1. श्रीमती शकुन्तला भाटीवाल – अधिवक्ता वादीगण
2. श्री दिनेश सिंह – अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 14
3. श्री लोकेश शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 11
4. राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 21

–:निर्णय:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.08.29 20:04:52 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 21.8 [illegible]

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वाद [illegible] धारा 88, 53 राजस्थान का अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया [illegible] के दादा स्व. मोती नत्थुराम के नाम से तहसील [illegible] एन. खाता संख्या 11 69 / 290 (58) किला नं. 1 ता 4, 6 ता 14, 17 व [illegible] 68 / 290 (59) किला [illegible] कुल 4.301 हैक्टेयर कृषि भूमि मय गैरमुमकिन रास्ता व चक 3 डी.बी.एल. के खाता 166 / 163 के प.नं. 70 / 290 (33) किला नं. 7, 8, 9, 10 की 1.012 हैक्टेयर नहरी मय [illegible] खाला व चक 4 पी. बी. एन. खाता संख्या 7 / 68 प.नं. 57 / 294 (21) किला नं. 11 ता 25 व प.नं. 58 / 294 (22) किला नं. 11, 20, 21 व प.नं. 58 / 295 (31) किला नं. 1 57 / 295 (32) किला नं. 3 ता 8 की कुल 6.072 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन खाला कृ[illegible]

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

1/2 हिस्सा दर्ज कागजात पटवार माल था । यह कृषि भूमि मोतीराम को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई थी। जमाबन्दी चक 2 पी.बी.एन. व 3 डी.बी.एल. व 4 पी.बी.एन. की सत्यप्रतियां हमराह दावा प्रस्तुत है ।

यह कि मोतीराम की दिनांक 29.6.2019 को मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु के बाद उसके जायज व कानूनी वारिसान चन्दूराम, मनीराम बल्लूराम, मंगूराम नन्दूराम और पन्नाराम थे। इनके अलावा पुत्रीयां नन्दो देवी, चांदो देवी, बागो देवी, नत्थी देवी व रूकमा देवी है। मोतीराम के वारिसान में चन्दूराम का देहांत हो चुका है। उसकी मृत्यु के बाद उसके जायज व कानूनी वारिसान पत्नी पन्नो देवी और पुत्रगण मादरराम बीरबलराम एवं पुत्रीयां लच्छो, सुखो, बरखो, लखो, दाखो और सोमा है। मनीराम पुत्र स्व. मोतीराम का भी देहान्त हो चुका है। उसकी मृत्यु के बाद उसके जायज व कानूनी वारिसान पत्नी मीरादेवी और पुत्र प्रेमकुमार, प्रकाश कुमार और विजय कुमार है। मोतीराम के पुत्र बल्लूराम का भी देहांत हो चुका है। उसकी मृत्यु के बाद उसके जायज व कानूनी वारिसान पत्नी नन्दो देवी, पुत्र राकेश कुमार, शंकरलाल और पुत्रीयां कमोदेवी, राणो देवी व राजोदेवी है। पन्नाराम पुत्र स्व. मोतीराम का भी देहांत हो चुका है। उसकी मृत्यु के बाद उसके जायज व कानूनी वारिसान पत्नी रूकमा देवी व पुत्र गगन कुमार उर्फ सहीराम और कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णाराम है।

यह कि स्व. मोतीराम ने अपने जीवनकाल में ही अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि को अपने पुत्रगण चन्दूराम, मनीराम, बल्लूराम, मंगूराम, नन्दूराम और पन्नाराम जो कि उसकी मृत्यु से पूर्व ही फौत हो चुका था, उसके जायज व कानूनी वारिसान कृष्ण कुमार व गगन कुमार को बांट कर दे दी थी। सभी वारिसान ने अपने हक व हिस्सानुसार भूमि पर स्व. मोतीराम द्वारा घराघरू किये गये बंटवारा अनुसार कब्जा प्राप्त कर लिया था और मौका पर बंटवारा अनुसार ही कब्जा काश्त है।

यह कि स्व. मोतीराम द्वारा बंटवारा में अपने वारिसान को हक व हिस्सा अनुसार भूमि का बंटवारा कर दिया गया था। तत्पश्चात् अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व दिनांक 27.1.2014 को स्व. मोतीराम द्वारा अपने वादपत्र के पैरा सं. 2 में दर्ज कृषि भूमि की वसीयत निष्पादित की थी और वसीयत में हक व हिस्सा अनुसार अपने पुत्र चन्दूराम, मनीराम बल्लूराम, नन्दूराम, मंगूराम और स्व. पन्नाराम के पुत्र गगन और कृष्णाराम को बंटवारा अनुसार ही वसीयत निष्पादित की थी। मनीराम, चन्दूराम व बल्लूराम का देहान्त होने के बाद उनके कब्जा काश्त की भूमि उनके जायज व कानूनी वारिसान ने संयुक्त रूप से प्राप्त की और इसी अनुसार मौका पर वारिसान का कब्जा काश्त है।

यह कि चन्दूराम और बल्लूराम द्वारा अपने कब्जा काश्त की हक व हिस्सा अनुसार प्राप्त कृषि भूमि चक 2 पी.बी.एन. में रूपयों की आवश्यकता होने पर इस भूमि का विक्रय चम्पारानी पत्नी सतीश कुमार को कर दिया और अपने पिता से प्राप्त कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा समाप्त कर लिया। चम्पारानी पत्नी सतीश कुमार को विक्रय की गई भूमि चक 2 पी.बी.एन. खाता संख्या 43/126 प.नं. 69/290 (58) किला नं. 4/.253, 6/.126, 7/253, 8/.127, 13, 14, 17 प्रत्येक 0.253 की 1.518 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार है जिसका नामान्तरण भी चम्पादेवी के नाम से हो चुका है क्योंकि राजस्व रिकार्ड में वरवक्त विक्रयनामा यह कषि भूमि स्व. मोतीराम के नाम से दर्ज थी इसलिए विक्रयनामा पर हस्ताक्षर अंगूठा स्व. मोतीराम के हु[illegible] लेकिन विक्रय में सहमति चन्दूराम व बल्लूराम द्वारा दी गई थी। दिनांक 23.5.2017 को को इ[illegible] आशय का हलफनामा भी चन्दूराम व बल्लूराम द्वारा निष्पादित किया गया जिसमें उन्होंने [illegible] स्वीकार किया कि हमने अपने पिता मोतीराम के हस्ताक्षर व अंगूठा से 6 बीघा भूमि का बैयना करवाया है जिसमें से चन्दूराम ने अपना समस्त हक व हिस्सा विक्रय किया है तथा बल्लूराम चक 2 पी.बी.एन. के किला नं. 8 में [illegible] हम दोनों भाईयों थी तथा पिता के देहान्त के पश्चात् पिता की भूमि में [illegible] नहीं रहा तथा बल्लूराम का [illegible] बिस्वा का हक व हिस्सा है जो वह [illegible] कृषि भूमि व ह[illegible] हिस्सानुसार प्राप्त कृषि भूमि में स्व. मोतीराम के [illegible] उसके जीवनकाल में ही [illegible] भूमि विक्रय कर दी थी और अपना समस्त हक व हिस्सा [illegible] 2 पी.बी.एन. व 3 डी. बी.ए[illegible] समाप्त कर लिया था और बल्लूराम ने भी अपना समस्त हक व हिस्सा विक्रय कर केवल मा[illegible] बिस्वा कृषि भूमि का हक व हिस्सा रखा जिस पर उसका कब्जा काश्त था। उसकी मृत्यु [illegible] उसके वारिसान का कब्जा काश्त है।

यह कि स्व. मोतीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि चक 4 पी.बी. एन[illegible] 072 हैक्टेयर कृषि भूमि में उसका 1/2 हिस्सा दर्ज है। 1/2 हिस्सा कृषि भूमि पर स्व. [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.08.29 20:04:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड/कलेक्टर
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

के वारिसान का कब्जा है लेकिन इस भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है जो मन्नी देवी बनाम मनीराम है। इसलिए प्रार्थीगण इस भूमि के संबंध में कोई अनुतोष नहीं चाहते है। केवल मात्र चक 2 पी.बी.एन. व 3 डी.बी.एल. के संबंध में वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर रहे है।

यह कि वादीगण स्व. मनीराम के जायज व कानूनी वारिसान है। वसीयतनामा दिनांक 27.1.2014 में स्व. मोतीराम द्वारा मनीराम के पक्ष में चक 2 पी.बी.एन. खाता संख्या 119/119 प.नं. 69/290 (58) किला नं. 1, 10, 11 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, किला नं. 6/.127 कुल 0.886 हैक्टेयर कृषि भूमि मय गैरमुमकिन रास्ता अनुसार स्व. मनीराम के पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी। स्व. मनीराम का देहान्त हो चुका है। स्व. मनीराम के वारिसान की हैसियत से वादीगण उसके हक व हिस्सा एवं वसीयत में दर्ज कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड बहिस्सा बराबर अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है और कब्जा काश्त अनुसार ही वादीगण खाता विभाजन करवाकर रकमराज अलग करवाने के अधिकारी है।

यह कि चूंकि स्व. मोतीराम की मृत्यु से पूर्व ही चन्दूराम व बल्लूराम ने अपना हक व हिस्सा विक्रय कर दिया था और विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर/अंगूठा स्व. मोतीराम के अंकित है इसलिए वे बदयान्तिपूर्वक शेष कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा बराबर प्राप्त करने हेतु लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू है और नित्यप्रति वादीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर अपना हक व हिस्सा जताकर कब्जा करने की फिराक में रहते हैं। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से मिलकर सहमति के आधार पर वसीयत दिनांक 27.1.2014 में दर्ज अनुसार भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाने एवं खाता विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण ने वादीगण की किसी भी बात को मानने से करीब 15 दिन पूर्व इन्कार कर दिया है। यही वाद कारण है।

यह कि वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है एवं वाद कारण से अंदर मियाद प्रस्तुत है और उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः वादपत्र अंतर्गत धारा 88 व 53 आर.टी.एक्ट मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे

(क) कि घोषणात्मक आज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वसीयत दिनांक 27.1.2014 अनुसार वसीयत में दर्ज मनीराम के हक व हिस्सा की कृषि भूमि के वादीगण संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है।

(ख) कि घोषणात्मक आज्ञा अनुसार चक 2 पी.बी.एन. खाता संख्या 119/119 प.नं. 69/290 (58) किला नं. 1, 10, 11 की 0.759 व किला नं. 6 की 0.127 हैक्टेयर कुल 0.886 हैक्टेयर कृषि भूमि वादीगण के कब्जा काश्त अनुसार का खाता अलग किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

(ग) कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादीगण हो, प्रदान किया जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 11 की ओर से अधिवक्ता लोकश शर्मा व प्रतिवादी सं. 14 की ओर से दिनेश सिंह ने वकालनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 11 ने जवाब दावा पेश किया व वादी की हद तक दावा स्वीकार कर प्रतिदावा मुताबिक वसियत द्वारा मोती सन् 2017 के पेश किया। प्रतिवादी सं. 12, 13, 15 ता 20 तलबी उपरांत हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 14 का [illegible] गया। वादी प्रेमकुमार की ओर से शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश [illegible] जिसमें वादी ने शपथ में अंकित किया कि हल्फन ब्यान करता हूं कि [illegible] राम पुत्र नत्थूराम के नाम तहसील हनुमानगढ के चक नम्बर [illegible] 196 के पत्थर नम्बर 69/2[illegible] (58) किला नम्बर 1 ता 4, 6 [illegible] 69/290 (59) किला नम्बर 5, 6, 15 कुल 4.301 हैक्टेयर व चक 3 डी.बी.एल के खाता सं[illegible] 166/163 के पत्थर नम्बर 70/2[illegible] (33) किला नम्बर 7 ता 10 की 1.012 हैक्टेयर व चक 4 पी.बी.एन के खाता संख्या 72/68 प[illegible] नम्बर 57/294 (21) किला नम्बर 11 ता 19, 22 ता 25, पत्थर नम्बर 58/294 (22) किला न[illegible] 11, 20, 21 व पत्थर नम्बर 58/295 (31) किला नम्बर 1, 1 पत्थर नम्बर 57/295 (31) कि[illegible] नम्बर 3 ता 8 की कुल 6.072 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि मे 1/2 हिस्सा [illegible] कागजात पटवार माल था । यह कृषि भूमि मोतीराम को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.08.29 20:04:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डअधिकारी
हनुमानगढ़

(C)

जमाबंदिया चक 2 पीबीएन की प्रदर्श 1 से 3 है जमाबंदी चक 3 डी.बी. एल प्रदर्श 4 है और
जमाबंदी चक 4 पी.बी.एन प्रदर्श 5 है।
मैं हल्फन ब्यान करता हूँ कि मिकर के दादा मोतीराम की दिनांक 29.06.2019 को मृत्यु हो
चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र असल प्रदर्श 6 है और फोटोप्रति प्रदर्श 6ए है। मोतीराम के
जायज व कानूनी वारिसान चंदूराम, मनीराम, बल्लूराम, मंगूराम, नन्दूराम और पन्नाराम थे और
पुत्रियां नंदोदेवी, चांदो देवी, भागो देवी, नत्थो देवी व रूकमा देवी है। मोतीराम के पुत्र चंदूराम,
मनीराम, पन्नाराम व बल्लूराम की मृत्यु हो चुकी है। वादिगण स्वर्गीय मनीराम के जायज व
कानूनी वारिसान है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मोतीराम के वारिसान है और प्रतिवादी संख्या 2 ता
20 पन्नाराम चन्द्रराम और बल्लूराम के जायज व कानूनी वारिसान है मनीराम का मृत्यु प्रमाण पत्र
प्रदर्श 7 है जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 7 ए है।
मै हल्फन ब्यान करता हूँ कि मिकर के दादा मोतीराम ने अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि
का अपने पुत्र चंदूराम, मनीराम, बल्लूराम, मंगूराम, नन्दूराम, पन्नाराम को हक व हिस्सा अनुसार
बंटवारा कर दे दी थी और दिनांक 27.01.2014 को स्वर्गीय मोतीराम द्वारा अपने नाम दर्ज राजस्व
रिकॉर्ड की कृषि भूमि की वसीयत हक व हिस्सा अनुसार अपने पुत्रो और स्वर्गीय पन्ना राम के
वारिसान गगन और कृष्ण कुमार के पक्ष में निष्पादित की थी। मूल वसीयत दिनांक 27.01.2014
प्रदर्श 8 है जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 8 ए है। मनीराम, बल्लूराम के देहान्त होने के पश्चात उनके
हक व हिस्सा की कृषि भूमि उनके वारिसान को विरासतन प्राप्त हुई थी जो उनके कब्जा काश्त में
है ।

मै हल्फन ब्यान करता हूँ कि चंदूराम और बल्लूराम को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि जिस पर उनका कब्जा था ने मोतीराम के जीवन काल मे ही रूपयो की आवश्यकता होने पर चक 2 पी.बी. एन के खाता संख्या 43/126 पत्थर नम्बर 69/290 (58) किला नम्बर 4/0.253, 6/0.126, 7/0.253, 8/0.127, 13, 14, 17 की 0.759 हैक्टेयर कुल 1.518 हैक्टेयर चम्पा रानी पत्नी सतीश कुमार को विक्रय कर दी जिसका नामान्तरण चम्पा रानी के नाम से दर्ज से चुका है। वरवक्त बैयनामा विक्रय की गयी कृषि भूमि मोतीराम के नाम से दर्ज थी इसलिए बैयनामा पर हस्ताक्षर अंगूठा स्वर्गीय मोतीराम के दर्ज हुए थे जिस पर चंदूराम व बल्लूराम ने सहमति दर्ज की थी। दिनांक 23.05.2017 को चंदूराम व बल्लूराम ने इस आशय का हल्फनामा भी निष्पादित किया था जो प्रदर्श 9 है जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 9 ए है। इस वसीयत अनुसार चक 3 डी.बी.एल व 2 पी. बी.एन में 21 बीघा भूमि में से चंदूराम ने अपना समस्त हिस्सा बैय कर दिया था व बल्लूराम के किला नम्बर 8 में 10 विरसा कृषि भूमि शेष बची है व स्वर्गीय मोतीराम की बाकी कृषि भूमि शेष वारिसान के लिए है जो वसीयत अनुसार उनके हक व हिस्सा की है।

में हल्फन ब्यान करता हूँ कि स्वर्गीय मोतीराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में 4 पी.बी.एन की 6.072 हैक्टेयर कृषि भूमि में उसका 1/2 हिस्सा दर्ज था जिस पर स्वर्गीय मोतीराम के वारिसान का कब्जा है। इस भूमि बाबत माननीय न्यायालय में वाद मनोदेवी बनाम मनीराम आदि के नाम से विचाराधीन है, इसलिए इस भूमि बाबत वादिगण कोई अनुतोष नही चाहते है। मै हल्फन ब्यान करता हूँ कि स्वर्गीय मोतीराम द्वारा वसीयत प्रदर्श 8 मे मनीराम के पक्ष में की गयी वसीयत के अनुसार चक 2 पीबीएन के खाता संख्या 119/119 पत्थर नम्बर 69/290 (58) किला नम्बर 1, 10, 11 की 0.759 हैक्टेयर व किल नम्बर 6 की 0.127 कुल 0.886 हैक्टेयर कृषि भूमि मय गैर मुमकीन रास्ता मनीराम के पक्ष में निष्पादित की थी। मनीराम के देहान्त के बाद वसीयत में दर्ज भूमि वादिगण को विरास्तन प्राप्त हुई है जिसे वादिगण हक व हिस्सा अनुसार प्रत्येक का 1/4 हिस्सा अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है और [illegible] भूमि का खाता विभाजन अलग करवाकर रकम राज अलग करवाने के अधि[illegible] आशय का वाद पत्र वादिगण ने प्रस्तुत किया है वाद वादिगण डिक्री किया जावे।

मै हल्फन तस्दीक करता हूँ कि [illegible] संख्या 1 ता 6 को अपने निजी ज्ञान व विश्वास से सही सही व [illegible] है कोई तथ्य घटाया बढाया व छुपाया नही है। ईश्वर मेरा साक्षी है।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने निवेदन किया कि मुताबिक वाद पत्र के वाद डिक्री किया जावे। पत्रावली पर कोई विरोधाभास नहीं पाया गया इसलिए तनकीयात विरचित नहीं की गई। सहमति के आधार पर वादी वाद आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.08.29 20:04:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

-क्रियात्मक आदेश-

अतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार कर निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि- चक 2 पी.बी.एन. खाता संख्या 119/119 प.नं. 69/290 (58) किला नं. 1, 10, 11 की 0.759 व किला नं. 6 की 0.127 हैक्टेयर कुल 0.886 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते है व इसी अनुसार खाता अलग कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। प्रतिवादी सं. 1, 2 को चक 2 पी.बी.एन. खाता संख्या 119/119 में कुल 1.771 है. ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते है। प्रतिवादी सं. 3 ता 8 को चक 2 पी.बी.एन. खाता संख्या 119/119 में कुल 0.126 हैक्टेयर कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार का कब्जा काश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी कर लगाम कायम की जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 2/8/24 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- निर्णित रकबा रहन हो तो बाद रहन मुक्त के निर्णय की पालना की जावे।

Divya

(दिव्या) RAS
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.08.29 20:04:52 IST
Reason: SelfAttested